तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-3-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित पेशकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश किया गया नकल वादी को दिलवाई गई वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दिनांक 26-3-21 को पेश हो।	
26-3-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 9-4-21 को पेश हों।	
9-4-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 7-5-21 को पेश हों।	
7-5-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 23-7-21 को पेश हों।	कोविड-19
23-7-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित पेशकार सरकार उपस्थित वाद पत्र बहस सुनी गई, वादी का वाद-पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। [illegible] निर्णय पृथक से [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.30 12:31:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

वाद सं0 31/दावा/2019 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनाकं 13.06.2019 — श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)

1 बृजमोहन आ0 राधाकिशन जाति धाकड़ निवासी ग्राम अरनिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी —वादी

बनाम

2 राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

—प्रतिवादी

वाद–अधिकार घोषणा
अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

निर्णय — दिनांक 23.07.2021

वादी ने अन्तर्गत धारा 88,89 में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खाता संख्या 67 खसरा नं0 116 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 119 रकबा 0.44 है0, खसरा नं0 123 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 128 रकबा 0.63 है0 कुल किता 4 योग रकबा 1.88 हैक्टेयर वाके ग्राम अरनिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 में स्थित है जो वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है वास्ते प्रमाण स्वरूप नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 वाद पत्र के साथ सलग्न है व खाता संख्या 68 खसरा नं0 120 रकबा 0.03 है0 गै0 मु0 चाह में हिस्सा 1/2 भाग ग्राम अरनिया में स्थित है।

वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में वादी के शामलाती खाते से बंटवारानुसार दर्ज हुई उक्त कृषि भूमि खाता संख्या 67 में खसरा नं0 115 रकबा 0.54 है0, खसरा नं0 116 रकबा 0.48 है0, खसरा नं0 118 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 119 रकबा 0.44 है0, खसरा नं0 120 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 123 रकबा 0.27 है0, खसरा नं0 124 रकबा 0.65

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.30 12:31:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

है0, खसरा नं0 128 रकबा 0.63 है0 किता 8 योग रकबा 3.54 हैक्टेयर वादी व महावीर श्रीराम के 1/2 – 1/2 खाते मे दर्ज थी जिसका बंटवारा करवाने के पश्चात वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि वादी के खाते में दर्ज हुई है।

वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नं0 115, 116, 118, 119, 120, 123, 124, 128 कुल किता 8 में सेटलमेन्ट सर्वे सम्वत् 2041 से 2060 के पूर्व के पुराने खसरा नं0 44 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 45 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं0 50 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 51 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 52 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 44/189 रकबा 12 बिस्वा किता 6 योग रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा थे। जो वादी एवं महावीर आ0 श्रीराम ने सयुंक्त रूप से जर्ये रजिस्टर विक्रय पत्र मु0 भगवती बैवा घ्यान सिंह, कुलदीप सिंह एवं गुरूबक्श सिंह, विरेन्द्र सिंह, व कन्हैया सिंह से खरीद की थी उक्त खरीद पत्र में वादी का नाम बृजमोहन आ0 राधाकिशन दर्ज था परन्तु विक्रय पत्र से खुले नामान्तरण में वादी का नाम बृजमोहन के स्थान पर मोहन दर्ज हो गया।

वादी के समस्त दस्तावेज में वादी का नाम बृजमोहन दर्ज है परन्तु विक्रय पत्र में वादी का पूरा नाम बृजमोहन दर्ज होने के पश्चात भी वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अधूरा नाम मोहन दर्ज है जिससे वादी बैंक से केसीसी, अन्य लाभ लेने से वचिंत रहता है और परेशानी होती है जिसको दुरूस्त करवाने के लिए कई प्रार्थना पत्र तहसीलदार इन्द्रगढ़ को व शिविर में पेश किए गए परन्तु वादी का पूरा नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया। वादी ने जर्ये अधिवक्ता दिनांक 10.03.2019 को तहसीलदार इन्द्रगढ़ को रजि0 डाक से नोटिस पेश किया उक्त नोटिस की अवधि 2 माह दिनांक 11.05.2019 को पूर्ण हो जाने पर भी तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा कोई कार्यवाही नही किए जाने से वाद कारण उत्पन हुआ

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी द्वारा दिनांक 05.03.2021 को जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज के अनुसार वादी का नाम मोहन उर्फ बृजमोहन किए जाने पर राज्य हित प्रभावित नही होता है

वाद द्वारा अपने वाद पत्र के [illegible] विक्रय दस्तावेज दिनांक 15.05.1976, नकल जमाबन्दी [illegible] जमाबन्दी 2034–37, मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041–2060 [illegible] भू प्रबन्धक विभाग सम्वत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.30 12:31:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

2041–2060, नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, नकल जमाबन्दी 2076–2079, रजिस्टर्ड नोटिस धारा 80 सी.पी.सी., पेश किए तथा वादी स्वयं का आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, बैंक पासबुक, स्वंय का बिजली का बिल की छायाप्रतिया पेश की गई है।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई वादी के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा वर्णित भूमि को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की गई है। विक्रय पत्र से खुले नामान्तकरण में वादी का नाम बृजमोहन के स्थान पर मोहन दर्ज कर दिया गया है और अन्त में निवेदन किया गया कि वाद वर्णित आराजी के खाते में वादी का नाम मोहन के स्थान पर बृजमोहन आ0 राधाकिशन दर्ज किया जावें।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय रजिस्टर्ड दस्तावेज एवं प्रस्तुत पहचान पत्रों में वादी का नाम बृजमोहन आ0 राधाकिशन दर्ज है किन्तु भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में आंशिक स्वीकार होना जाहिर किया है अतः वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायहित मे उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 67 ,खाता संख्या 68 वाके ग्राम अरनिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि के खातो में दर्ज मोहन पुत्र राधाकिशन को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर मोहन उर्फ बृजमोहन आ0 राधाकिशन दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.07.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.30 12:31:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अन्तिम ड़िगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

आज अदालत ...उपखण्ड अधिकारी.............................. मुकाम.............लाखेरी ....व
इजलास.......प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)..

1 बृजमोहन आ0 राधाकिशन जाति धाकड़ ग्राम अरनिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी वगैरह (वादी)

बनाम....1.राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (प्रतिवादी)

दावा बाबत..............88,89, आर टी एक्ट ....

मुकदमा नम्बर..............31/दावा/2019...सन...
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...........हमरे...व हाजिरी
..श्री दिनेश कुमार शर्मा एडवोकेट...........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू..........सरकार पैरोकार ....
..........................मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि ....
..वादी का वादपत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तहसीलदार इन्द्रगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता संख्या 67 ,खाता संख्या 68 वाके ग्राम अरनिया तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि के खातो में दर्ज मोहन पुत्र राधाकिशन को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर मोहन उर्फ बृजमोहन आ0 राधाकिशन दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें।
....बाबत..खर्चा
..................निज..................................मुबलिग...
इन मुकदमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से
तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...23 माह ..07.. सन.....2021..............

को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

दस्तखत

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
1 स्टाम्प अर्जीदावा			1 स्टाम्प अर्जीदावा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अर्जी		
3 स्टाम्प बजह सबूत			3 महन्ताना वकील		
4 महन्ताना वकील			4 खर्चा गवाहान		
5 खर्चा गवाहान			5 फीस कमीशन		
6 फीस कमीशन			6 तलब इजराय दुस्तनामा		
7 तलब इजराय दुस्तनामा			7 मुत्फर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.07.30 12:31:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner